कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जालोर (राजस्थान)

कार्यालय–आदेश

श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांकः शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013/2017–18 दिनांक 22-02-2018 एवं समसंख्यक पत्रांक 28.02.2018 के निर्देशानुसार लिपिक ग्रेड–II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में संलग्न सूची अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को निदेशालय द्वारा परामर्श केम्प के माध्यम से विद्यालय एवं जिला आवंटित किया जाकर उनके प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक 06.03.2018 एवं 07.03.2018 को स्थानीय कार्यालय द्वारा की जाकर नियुक्ति आदेश जारी किये जाने हेतु सुपुर्द किये जाने से संलग्न सूची के चयनित अभ्यर्थियों को लिपिक ग्रेड–II के पद पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक F15(1) FD RULES/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन क्रमांक F15(1) FD RULES/2017 जयपुर दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) के पद पर रूपये 14600/– प्रतिमाह स्थाई पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनरेशन) पर दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिये नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय/कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त कनिष्ठ सहायक पद की वेतन श्रंखला एल–05 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त किसी प्रकार भत्ते एवं महंगाई भत्ता, मकान किराया, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन,बोनस आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में एक कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलैण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा साथ ही परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा एवं नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत नियमानुसार पेंशन अंशदान की कटौती होगी एवं अन्य सुविधाऐं व अवकाश राजस्थान सेवा नियम आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा।

इन्हें दिनांक 23.03.2018 तक पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर सेवा समाप्ति का अधिकार नियुक्तिकर्ता के पास सुरक्षित रहेंगा। **कार्यग्रहण की अन्तिम दिनांक 23.03.2018 तक कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा तथा नियुक्ति निरस्त की जाकर मूल आवेदन पत्र निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटा दिया जावेगा।** उक्त नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–II (कनिष्ठ सहायक) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबी सिविलयाचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रीट याचिकाओं में पारीत आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 07.07.2017 को घोषित किया गया , अधिनस्थ कार्यालयों एवं विभागो के लिये सूची दिनांक 21.11.2017 को जारी की गई में नियुक्तियां आवंटित पदो के संबंध में डीबी अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बना श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी। उक्त नियुक्ति पर आशार्थियों के कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान निम्न बिन्दुओं/निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व नियमानुसार सम्बंधित अभ्यर्थी का सम्बंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत है तो उनका पूर्व में आवंटित विभाग द्वारा जांच करवा ली गई है तो पुनः सत्यापन करवाया जाना आवश्यक नहीं है।
2. चयनित अभ्यर्थियों के उपर्युक्त परीक्षा के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखें जानें हेतु इस कार्यालय से वाहक स्तर पर प्राप्त कर मूल दस्तावेजों से मिलान उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायें।
3. इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता / प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्युटर संबंधी), आयु एवं अन्य किसी छुट (जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी/विकलांग आदि) के संबंध में अवश्यक मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त करके अपनी संतुष्टि कर ले की अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है।

लगातार–02

4. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजियन प्रमाण–पत्र एवं 02 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं 20.11.2015 की अनुपालना में पूर्ति करावें। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे। आचरण के पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए इस कार्यालय को तत्काल तथ्यात्मक रिपोर्ट से अवगत करवाया जावें।
5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संस्था प्रधान अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जाये तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तत्काल इस कार्यालय को भिजवायें।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कुटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेंगा एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेंगा।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावें।
8. अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया हों एवं यह भी प्रमाणित किया गया हों कि अपवर्जनकॉक नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित क्रिमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनके आवेदन पत्र कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए इस कार्यालय को तत्काल लौटावें।
9. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। विाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के अधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए इस कार्यालय को आवेदन पत्र लौटावे।

संलग्न सूची–01

(ललित शंकर आमेटा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, जालोर

क्रमांकः जिशिअ/मा/जालोर/संस्था–अ/2018/287 दिनांकः 08.03.2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1– प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2– श्रीमान संयुक्त शासन, प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप–3) शासन सचिवालय जयपुर
3– शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3– शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4– सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
6– उपनिदेशक, माध्यमिक, शिक्षा विभाग, पाली
7– सम्बंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/ बालिका....................
8– सम्बंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
9– नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
10–रक्षित पत्रावली ।

08/03/2018
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, जालोर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक,जालोर

क्रमांकः जिशिअ/मा/जालोर/संस्था–अ/2018/287 दिनांकः 08.03.2018

क्र.स.	मेरिट नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थाई निवास पता	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2016	VIJAY PAL	SURYA PRAKASH	15-10-92	कोहलाणियों की ढाणी झोटडा पो. परावा तहसील चितलवाना जिला जालोर	BC	GENM	AADRASH GOVT.SR.SEC. SCHOOL PALADI SOLANKIYAN SANCHORE
2	2095	JITENDRA KUMAR	JASA RAM	08-07-93	बेरा कोयटा जालोर–बी जालोर	BC	GENM	GOVT.SEC. SCHOOL MOODI SAYALA
3	3241	HEMANT KUMAR	ASUDAN JADAWAT	08-01-85	करणी कुटीर श्री दुर्गा ग्रेनाइट्स के पीछे जालोर	BC	OBCM	AADRASH GOVT.SR.SEC. SCHOOL UNN JALORE
4	3627	RANJEET DEWASI	DUNGA RAM	14-01-93	मु.पो. माण्डोलीनगर तहसील जसवन्तपुरा जिला जालोर	SB	OBCM	AADRASH GOVT.SR.SEC. SCHOOL PUNAK KALAN JASWANTPURA
5	3690	RAJIV BISHNOI	BHAGWANA RAM BISHNOI	23-03-94	180, गोदारो की ढाणी, ग्रा. पो. सरनाऊ तह. सांचोर जिला जालोर	BC	OBCM	AADRASH GOVT.SR.SEC. SCHOOL KESHWANA SAYALA
6	3858	SURESH KUMAR	LADU RAM	01-07-94	मु.पो. भालनी तह. बागोडा पं. स. भीनमाल जिला जालोर	BC	OBCM	AADRASH GOVT.SR.SEC. SCHOOL DHUMBADIA BHINMAL
7	3868	NARENDRA KUMAR	GANGA RAM	09-09-94	मु.पो. कूका तह. बागोडा जिला जालोर	BC	OBCM	GOVT.SEC. SCHOOL NIMBODA BHINMAL
8	3881	SHRI RAM	KISHNA RAM	02-12-95	मु.पो. पुर तह. सांचोर जिला जालोर	BC	OBCM	AADRASH GOVT.SR.SEC. SCHOOL PUR SANCHORE
9	4046	DINESH KUMAR	RAM LAL	05-10-93	164, विश्नोई की ढाणी रामपुरा पो. चितलवाना तह. चितलवाना जिला जालोर	BC	OBCM	AADRASH GOVT. SCHOOL BHARUDI JASWANTPURA
10	4098	VINOD KUMAR	MOOLA RAM SUTHAR	17-10-90	सुथारो का बास देवडा जिला जालोर	BC	OBCM	AADRASH GOVT. SR.SEC. SCHOOL DEVRA CHITALWANA
11	5158	VERSI RAM RANAWAT	KUMBHA RAM	10-04-83	राणावत फार्म हाऊस , मेडा जागीर पो. हाडेतर तहसील सांचोर जिला जालोर	SC	SCM	AADRASH GOVT.GIRLS SR.SEC. SCHOOL SANCHORE SANCHORE
12	5309	OM PRAKASH	PARAS MAL	01-10-83	कस्तुरबा कोलोनी सब्जी मण्डी के पास जालोर	SC	SCM	AADRASH GOVT.SR.SEC. SCHOOL ALASAN SAYALA
13	5503	KARNA RAM	KEVLA RAM	10-05-87	वार्ड नं. 24 शिवनाथपुरा सांचोर जिला जालोर	SC	SCM	AADRASH GOVT.SR.SEC. SCHOOL DHAMANA KA GOLIYA SANCHORE
14	5579	MAHENDRA KUMAR MEENA	CHIMNA RAM MEENA	20-08-90	गौतम ऋषि मन्दिर के पास रामदेव कोलोनी जालोर	ST	STM	SHRI NARAYANJI KESAJI RAJPUROHIT AADRASH GOVT.SR.SEC. SCHOOL BAIRATH SAYALA
15	5640	BHAVAREE KUMARI	RAM LAL	10-01-94	मु.पो. पुनासा तहसील भीनमाल जिला जालोर	BC, WE	GENF	AADRASH GOVT.SR.SEC. SCHOOL NIMBAWAS BHINMAL
16	5681	YASHWANT KUMAR	KISHAN LAL	26-10-92	पोस्ट ऑफिस के पास भावानियों की गली बागरा मु. पो. बागरा तह. जालोर जिला जालोर	SC	SCM	AADRASH GOVT.SR.SEC. SCHOOL DEEGAON JALORE

(ललित शंकर आमेटा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक,जालोर